

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर**एसबी आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 2477/2018**

रोहित शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल जी शर्मा, उम्र लगभग 40 वर्ष, जाति ब्राह्मण, मूल निवासी सेठजी की हवेली के पास, छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से
2. गणेश लाल पांचाल पुत्र श्री कवजी पांचाल, जाति पांचाल, निवासी-ग्राम खमेरा, तह. घाटोल, जिला. बांसवाड़ा, वर्तमान में तहसीलदार छोटी सादड़ी

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से	:	श्री कोमल आर. वर्मा
प्रतिवादी(गण) की ओर से	:	श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित, उप.रा.अ श्री रवींद्र सिंह, स.रा.अ

माननीय श्रीमान न्यायाधीश फरजंद अली
आदेश

प्रकाशन-योग्य**17/03/2025**

1. याचिकाकर्ता ने आईपीसी की धारा 383, 385, 506 के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ में दर्ज एफआईआर संख्या 121/2018 को रद्द करने की मांग की है।
-

2. एफआईआर में वर्णित संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता गणेश लाल ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि याचिकाकर्ता उन्हें परेशान करता है और अवैध धनराशि या चंदा देने के लिए दबाव बनाता है, अन्यथा उनके भ्रष्ट आचरण के बारे में अखबारों में खबर छपवा देगा और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। एफआईआर में याचिकाकर्ता द्वारा रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, राजस्थान के मुख्यमंत्री को शिकायत भेजने का भी उल्लेख है, जिसकी प्रतियां राजस्थान के मुख्यमंत्री, महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान को भेजी गई थीं, जिसमें उन पर भ्रष्ट आचरण के झूठे आरोप लगाए गए थे। 2.1 उपरोक्त आरोपों के आधार पर, पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इसलिए, विविध याचिका।

3. मैंने दोनों पक्षों के वकीलों की बात सुनी है और मामले की बारीकियों पर गौर किया है।

4. अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद, सबसे पहले जबरन वसूली के प्रावधान और भारतीय दंड संहिता के तहत इसकी परिभाषा पर चर्चा करना आवश्यक है। त्वरित संदर्भ के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 383 नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:-

“383. जबरन वसूली.—

जो कोई जानबूझकर किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति या किसी अन्य को किसी भी तरह की क्षति के भय में डालता है, और इस प्रकार उस व्यक्ति को बेईमानी से किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, या हस्ताक्षरित या मुहरबंद कोई भी वस्तु, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, देने के लिए प्रेरित करता है, वह "उल्लंघन" करता है।

उदाहरण

(क) क, य के संबंध में एक मानहानिकारक अपमान-पत्र प्रकाशित करने की धमकी देता है, यदि य उसे धन नहीं देता। इस प्रकार वह य को धन देने के लिए उत्प्रेरित करता है। क ने जबरन वसूली की है।

(ख) क, य को धमकी देता है कि वह य के बच्चे को गलत तरीके से कारावास में रखेगा, जब तक कि य, क को एक वचन-पत्र पर हस्ताक्षर करके नहीं दे देता, जिसमें य को क को कुछ धनराशि देने के लिए बाध्य किया गया है। य उस वचन-पत्र पर हस्ताक्षर करके उसे दे देता है। क ने जबरन वसूली की है।

(ग) क, य के खेत को जोतने के लिए गदाधारी सैनिकों को भेजने की धमकी देता है, यदि य एक बंधपत्र पर हस्ताक्षर करके ख को नहीं देता, जिसमें य को एक निश्चित उपज ख को देने का दंड दिया गया है, और इस प्रकार य को बंधपत्र पर हस्ताक्षर करके उसे देने के लिए प्रेरित करता है। क ने जबरन वसूली की है।

(घ) य को गंभीर क्षति के भय में डालकर, बेईमानी से य को एक खाली कागज़ पर हस्ताक्षर करने या अपनी मुहर लगाने और उसे क को देने के लिए प्रेरित करता है। य हस्ताक्षर करता है और कागज़ क को देता है। यहाँ, इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज़ को एक मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है। क ने ज़बरदस्ती वसूली की है।"

भारतीय दंड संहिता की धारा 383 के अवलोकन से पता चलता है कि, जबरन वसूली का अपराध सिद्ध होने के लिए, अभियुक्त की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुँचाने का भय दिखाने का इरादा होना चाहिए, और ऐसे भय के परिणामस्वरूप, धमकी दिए गए व्यक्ति को बेईमानी से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, प्राथमिकी को सीधे पढ़ने से ही स्पष्ट है कि जबरन वसूली का अपराध सिद्ध नहीं होता, क्योंकि आरोप केवल धमकी का संकेत देते हैं और ऐसा कोई आरोप या सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दी थी।

5. धारा 384 आईपीसी जबरन वसूली के लिए सजा है जिसके अनुसार जो कोई भी जबरन वसूली करता है उसे तीन साल तक की अवधि के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
6. भारतीय दंड संहिता की धारा 385, जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने के भय में डालने से संबंधित है। आसान संदर्भ के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 385 नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:-

धारा 385- जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना।

जो कोई जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को भय में डालेगा या किसी व्यक्ति को किसी क्षति के भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

इस प्रावधान में यह परिकल्पना की गई है कि जो कोई भी, प्रतिबद्ध होने के लिए जबरन वसूली, किसी व्यक्ति को भय में डालना या किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने का प्रयास करना, किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा और यह संज्ञेय, महत्वपूर्ण है तथा किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह प्रावधान असंयोज्य है।

7. वर्तमान मामले में, जबरन वसूली का कोई अपराध नहीं बनता, क्योंकि आरोप केवल धमकी से संबंधित हैं, शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता को धन या संपत्ति की कोई सुपुर्दगी नहीं की गई है। यह एफआईआर को सीधे पढ़ने से स्पष्ट है।
-

8. **इसाक इसांगा मुसुम्बा एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के मामले में (2014) 15 एससीसी 357** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक धमकी के आधार पर आरोपी व्यक्ति को संपत्ति नहीं सौंपी जाती है, तब तक जबरन वसूली का कोई अपराध नहीं बनता है और इसलिए पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 384 के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है।

9. इस मामले में, ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा जा सकता है कि यह पीड़ित के आरोपों का खंडन या आकलन किए बिना जबरन वसूली का अपराध करने का प्रयास है। अभिलेख से यह पता चल रहा है कि याचिकाकर्ता ने जबरन वसूली करने के लिए पीड़िता को डराया-धमकाया, लेकिन चूँकि कुछ भी नहीं दिया गया, इसलिए अपराध पूरा नहीं हुआ है।

10. उपरोक्त के मद्देनजर, इस विविध याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। थाना छोटी सादड़ी, जिला सांचौर में दर्ज एफआईआर संख्या 121/2018 में भारतीय दंड संहिता की धारा 384 को शामिल करने को निरस्त एवं अपास्त किया जाता है; आईपीसी की धारा 385 और 506 के तहत अपराध के संबंध में जांच जारी रखी जा सकती है।

11. याचिकाकर्ता को आरोपों की सत्यता के संबंध में बाद में इस मुद्दे को उठाने से कोई नहीं रोक सकता। चूँकि दोनों अपराध ज़मानती हैं, इसलिए याचिकाकर्ता को एफआईआर संख्या 121/2018, थाना छोटी सादड़ी, जिला सांचौर के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।

12. स्थगन याचिका निस्तारित की जाती है।

(फरजंद अली),जे

191-ममता/-

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी
